



जनपद बिजनौर


प्रेस नोट – यातायात पुलिस

दिनांक – 22.11.2024

यातायात माह नवम्बर – 2024 के क्रम में यातायात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण ।

यातायात निदेशालय द्वारा चलाये जा रहे यातायात माह नवम्बर – 2024 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशानुसार जनपद में यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही हैं, जिसके क्रम में यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में जागरूक किया जा रहा है।

आज दिनांक 22.11.2024 को यातायात पुलिस, जनपद बिजनौर द्वारा वाहन चेकिंग की गयी। वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले **467** वाहनों के चालान किये गये जिसमें **01** डग्गामार वाहन के चालान किया गया व क्षमता से अधिक सवारी से बैठाने पर **04** वाहनों के चालान किये गये एवं ओवर स्पीड में चलने वाले **50** वाहनों के स्पीड रडार लगाकर चालान किये गये। यातायात पुलिस द्वारा घने कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से वचाव हेतु ट्रेक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर टेप लगाये गये एवं जनपद बिजनौर के कस्बा धामपुर में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल एवं के0एम0 इण्टर कॉलेज में बच्चों को यातायात नियमों के सम्बंध में जागरूक किया गया।





प्रेस नोट-जनपद बिजनौर

दिनांक 22.11.2024

थाना चांदपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 459/18 धारा 379/411 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कारावास व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.06.2024 को अभियुक्तगण 1.धीर सिंह उर्फ धीरा पुत्र काशीराम निवासी मंजरा पतई थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा 2.फुरकान पुत्र यामीन निवासी श्यामपुर थाना अमरोहा जनपद अमरोहा द्वारा मोटरसाइकिल चोरी कर लेने के संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 459/18 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 22.11.2024 को माननीय न्यायालय जे0एम0 चांदपुर, जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्तगण 1. धीर सिंह उर्फ धीरा पुत्र काशीराम निवासी मंजरा पतई थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा 2. फुरकान पुत्र यामीन निवासी श्यामपुर थाना अमरोहा जनपद अमरोहा को 03-03 वर्ष के कारावास व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

- 1.धीर सिंह उर्फ धीरा पुत्र काशीराम निवासी मंजरा पतई थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा
- 2.फुरकान पुत्र यामीन निवासी श्यामपुर थाना अमरोहा जनपद अमरोहा



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक- 22.11.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही :-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त छोटू पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम महमदाबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 03 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 1096/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

छोटू पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम महमदाबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व 03 खोखा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 जोगेन्द्र बैसला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.का0 904 विमल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक- 22.11.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही :-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1.शादाब उर्फ दाऊद पुत्र नईम निवासी मौहल्ला मिर्दगान बी-10 खरस्सो थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर 2. राजवीर उर्फ गुडडु पुत्र नौबहार निवासी ग्राम रायपुर बेरीसाल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर हाल पता जन्नत लोनी चाँदपुर रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को दो अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1097/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

- 1.शादाब उर्फ दाऊद पुत्र नईम निवासी मौहल्ला मिर्दगान बी-10 खरस्सो थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
2. राजवीर उर्फ गुडडु पुत्र नौबहार निवासी ग्राम रायपुर बेरीसाल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर हाल पता जन्नत कालोनी चाँदपुर रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

दो अवैध चाकू

आपराधिक इतिहास शादाब उर्फ दाऊद उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 1097/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 956/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 68/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 534/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 306/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 70/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 833/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0 659/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0 454/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 255/2019 धारा 307/504/506 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
11. मु0अ0सं0 1132/2018 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
12. मु0अ0सं0 01/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
13. मु0अ0सं0 1100/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
14. मु0अ0सं0 643/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
15. मु0अ0सं0 641/2017 धारा 398/401 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
16. मु0अ0सं0 1243/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास राजवीर उर्फ गुड्डु उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 1097/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 410/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 178/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. हे0का0 603 आदेश कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. का0 1198 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावर

दिनांक- 22.11.2024

थाना मंडावर पुलिस ने मु0अ0सं0 299/24 धारा 137(2)/65(2) बीएनएस व 5/6
पॉक्सो एक्ट में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.11.2024 को वादी ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि वादी की पौत्री को बाल अपचारी अभियुक्त बहला फुसलाकर ले गया । तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 299/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्माक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयान/मेडिकल परीक्षण के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(2) बीएनएस 5/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई । थाना मंडावर पुलिस द्वारा को अपहर्ता को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

कार्यवाही:-

आज दिनांक 22.11.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

एक बाल अपचारी

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 877 रोशनलाल थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा

दिनांक – 22.11.2024

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने 03 चोरो को गिरफ्तार कर चोरी की 02 घटनाओं को किया अनावरण ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.10.2024 को वादी चंकित पुत्र ओमवीर सिंह नि० ग्राम उलेढा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि दिनांक 05.10.24 को अज्ञात चोरो द्वारा वादी के खेत में लगा स्टार्टर व केबिल चोरी कर लिया गया । तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु०अ०सं० 164/2024 धारा-303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 20.11.2024 को वादी रवि कुमार पुत्र ओमपाल सिंह नि० फतेहपुर कंला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

द्वारा थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी के द्वारा विधुत लाइन में लगने वाला 400मी० एल्युमिनीयम का तार व 5 फीरोस चोरी कर लिया है । तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु०अ०सं० 176/2024 धारा-303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्माक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोगों में 1. राजेश पुत्र चतरु नि० ग्राम धींवरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 2. इमरान पुत्र हनीफ नि० ग्राम खाना थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर 3. रिजवान पुत्र हनीफ नि० ग्राम खाना थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आए ।

कार्यवाही –

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में प्रकाश में आए अभियुक्तो 1. राजेश पुत्र चतरु नि० ग्राम धींवरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 2. इमरान पुत्र हनीफ नि० ग्राम खाना थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर 3. रिजवान पुत्र हनीफ नि० ग्राम खाना थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को चोरी किए गए बिजली का ऐल्युमिनियम तार, 5 फीरोस, स्टार्टर, मोटरसाइकिल का 01 सायलेंसर 01 टंकी व अन्य पार्ट्स सहित गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

बरामदगी –

बिजली का ऐल्युमिनियम तार, 5 फीरोस, स्टार्टर, मोटरसाइकिल 01 सायलेंसर , 01 टंकी व अन्य पार्ट्स ।

आपराधिक इतिहास इमरान उपरोक्त:-

मु०अ०सं० 176/24 धारा 303(2)/ 317(2)/317(4) बीएनएस थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

मु०अ०सं० 164/24 धारा 303(2), 317(2),317(4) बीएनएस थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

मु०अ०सं० 386/21 धारा 380/457/411 भादवि थाना दौराला जनपद मेरठ



आपराधिक इतिहास रिजवान उपरोक्त:-

मु0अ0सं0 176/24 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 164/24 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. राजेश पुत्र चतरु नि0 ग्राम धींवरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. इमरान पुत्र हनीफ नि0 ग्राम खाना थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
3. रिजवान पुत्र हनीफ नि0 ग्राम खाना थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री कुलवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3. हे0का0 668 श्री अमित वर्मा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
4. का0 2441 श्री अजयपाल सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
5. का0 2426 श्री शक्तिराम थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 22.11.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 566/24 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.11.2024 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 20.11.2024 को वादी की नाबालिग भांजी खेत में काम कर रही थी । इसी दौरान संजय उर्फ गांधी पुत्र मंगते निवासी ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने जबरदस्ती वादी की भांजी को पकड लिया और उसके साथ जबरन गलत काम किया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 566/24 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम बनाम संजय उर्फ गांधी उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 22.11.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त संजय उर्फ गांधी पुत्र मंगते निवासी ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

संजय उर्फ गांधी पुत्र मंगते निवासी ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सुभाष राणा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 614 सहदेव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 22.11.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 98/2024 धारा 420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.02.2024 को वादी श्री नीरज कुमार पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी मौ0 चौहानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर वादी के फोन पर लिंक भेजकर खाते से 49,862.40 रुपये धोखाधड़ी करके काट लिये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 98/2024 धारा 420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण 1.वसीम चौहान पुत्र मुबारिक हाल निवासी मकान नं0 17/18 गली नं0 12 बी ब्लॉक राजीव नगर थाना हर्ष विहार नार्थ ईस्ट दिल्ली मूल निवासी ग्राम रसूलपुर औरंगाबाद थाना भावनपुर जनपद मेरठ 2.कामरान पुत्र इसतेकार हाल निवासी मकान नं0 21 गली नं0 2 बी ब्लॉक राजीव नगर थाना हर्षविहार नार्थ ईस्ट दिल्ली मूल निवासी मौ0 हुसैनपुरा थाना कोतवाली शहर जनपद शाहजहांपुर के नाम प्रकाश में आये ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 22.11.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.वसीम चौहान व 2.कामरान उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम स्वयं को क्रेडिट कार्ड कम्पनी के अधिकारी बताकर अज्ञात मोबाइल नम्बरों पर फोन करके सामने वाले व्यक्तियों को विश्वास में लेकर उनकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर उनके व्हाट्सएप्प पर अपना बनाया हुआ फर्जी लिंक भेजते हैं, जिससे व्यक्ति हमारे झांसे में आ जाता है तथा उस लिंक के माध्यम से व्यक्ति के खाते की पिन कोड व UPI की जानकारी से उसके खाते की रकम को अपने द्वारा खुलवाये गये फर्जी खातों में ट्रांसफर करा लेते हैं, जिसको हम तत्काल निकाल लेते हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.वसीम चौहान पुत्र मुबारिक हाल निवासी मकान नं0 17/18 गली नं0 12 बी ब्लॉक राजीव नगर थाना हर्षविहार नार्थ ईस्ट दिल्ली मूल निवासी ग्राम रसूलपुर औरंगाबाद थाना भावनपुर जनपद मेरठ
- 2.कामरान पुत्र इसतेकार हाल निवासी मकान नं0 21 गली नं0 2 बी-ब्लॉक राजीव नगर थाना हर्षविहार नार्थ ईस्ट दिल्ली मूल निवासी मौ0 हुसैनपुरा थाना कोतवाली शहर जनपद शाहजहांपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.निरीक्षक अपराध श्री सुभाषचन्द्र यादव पेशी क्षेत्राधिकारी कार्यालय नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 443 कपिल कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नांगल

दिनांक – 22.11.2024

थाना नांगल पुलिस ने मु0अ0सं0 163/2024 धारा 137(2), 351(2) बी.एन.एस व 3(2)V(a) SC/ST ACT में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.11.2024 को वादी द्वारा थाना नांगल पर तहरीर दी कि रनपाल उर्फ रेनू उर्फ ऋषिपाल पुत्र पूरण सिंह निवासी ग्राम भाजू थाना बाबरी जनपद शामली वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 163/2024 धारा 137(2), 351(2) बी.एन.एस बनाम रनपाल उर्फ रेनू आदि पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 3(2)V(a) SC/ST ACT की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 22.11.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रनपाल उर्फ रेनू उर्फ ऋषिपाल पुत्र पूरण निवासी ग्राम भाजू थाना बाबरी जनपद शामली को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रनपाल उर्फ रेनू उर्फ ऋषिपाल पुत्र पूरण निवासी ग्राम भाजू थाना बाबरी जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 उपेन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 2.कां0 108 आदित्य मलिक थाना नांगल जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 22.11.2024

थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 396/2024 धारा 137(2)/69/352/351(3) बी.एन.एस से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

दिनांक 21.11.2024 को वादिया ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि दीपक पुत्र दयाराम निवासी ग्राम दामनगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा शादी का झांसा देकर वादिया के साथ गलत काम किया गया तथा कहीं पर शिकायत करने पर गाली – गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 396/2024 धारा 137(2)/69/352/351(3) बी.एन.एस. बनाम दीपक उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 22.11.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक पुत्र दयाराम निवासी ग्राम दामनगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दीपक पुत्र दयाराम निवासी ग्राम दामनगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री भारत सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 496 नरेश पुनिया थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. कां0 133 मनवीर सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर